



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
Published by Authority

सं. 58, पोर्ट ब्लेयर, गुरुवार, 17 अप्रैल, 2014  
No. 58, Port Blair, Thursday, April 17, 2014

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 17 अप्रैल, 2014

सं. 54/2014/फा.सं. 4-8/2013-पी.डब्ल्यू.डी.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना सं. यू/14039/2/83-ए.एन.एल. के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 25 मार्च, 2014 के पत्र संख्या 3/30(17)/2013-आर.आर. के अनुसरण में तथा दिनांक 07 अगस्त, 2009 की पूर्व अधिसूचना सं. 111 का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा लोक निर्माण विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में **अधीक्षण अभियंता (सिविल)** के पद की भर्ती पद्धति के नियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (लोक निर्माण विभाग) भर्ती नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा ।

(ii) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-

उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएँ :-

उक्त पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट होगा ।

4. अनर्हताएँ :-

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने :

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह की हो, जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो,

..... या .....

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह की हो :

बशर्ते कि, केन्द्र सरकार की यह मत हो कि ऐसी शादी ऐसे व्यक्ति को और शादी के दूसरे पक्ष को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हो तथा ऐसा करने के अन्य आधार हो, किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे ।

**5. छूट देने की शक्ति :-**

प्रशासक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में जहाँ किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति/व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबन्ध में छूट देना आवश्यक या समीचीन हो तो वह कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श कर आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं ।

**6. व्यावृत्ति :-**

इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान कराने की आवश्यकता है, पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ले. जनरल (सेवा निवृत्त) अजय कुमार सिंह

उप राज्यपाल,

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल, अ. तथा नि. द्वीपसमूह के आदेश द्वारा तथा उनके नाम पर,

ह./—

संयुक्त सचिव (लो.नि./श.वि.)

---

**अनुसूची****अधीक्षण अभियंता (सिविल), अ.लो.नि.वि. के पद के लिए भर्ती नियम**

1.	पदनाम	अधीक्षण अभियंता (सिविल)
2.	पद संख्या	4 (चार) 2014* *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय
4.	वेतनमान	वे.बै.-4 रु. 37400-67000 + ग्रे.वे. रु. 8700
5.	चयन या गैर-चयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर अल्पावधि अनुबन्ध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है ।	<p><b>पदोन्नति :</b></p> <p>कार्यपालक अभियंता (सिविल) जिन्होंने वे.बै.-3 रु. 15600-39100 + ग्रे.वे. रु. 6600 के वेतनमान पर दस वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो या अभियंता संस्थान (भारत) से भाग 'क' तथा 'ख' परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।</p> <p><b>टिप्पणी :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत अधिकारी को मान्यताप्राप्त संस्थान में उच्च प्रबंधन पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जाना होगा ।</li> <li>अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की पात्रता सेवा, इस नियम के अधिसूचना की तिथि पर कार्यपालक अभियंता (सिविल) के फीडर पद रखने वाले व्यक्तियों के लिए लगातार नौ वर्षों की सेवा होगी ।</li> <li>जहाँ कनिष्ठ जिन्होंने अपनी योग्यता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति हेतु उनके मामले में विचार किया जा रहा है, उनके साथ उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वरिष्ठों की अपेक्षित योग्यता/पात्रता सेवा ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने कनिष्ठ जो ऐसी योग्यता और पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</li> </ol>

4. पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य के लिए 01.01.2006/छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, आयोग की सिफारिश पर आधारित तदनुरूप ग्रेड वेतन/विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित) :**

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उप विद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी तथा संविधिक संगठनों में कार्यरत अधिकारी :

(क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी है।

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वे.बैं-3 रु. 15,600-39,100+ ग्रे.वे. रु. 7,600 या समतुल्य के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इसी ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो।

(iii) मूल संवर्ग/विभाग में वे.बैं-3 रु. 15,600-39,100+ ग्रे.वे. रु. 6,600 या समतुल्य के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इसी ग्रेड में दस वर्षों की नियमित सेवा की हो।

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखता हो :

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या

सिविल अभियांत्रिकी में अभियंता संस्थान (भारत) के भाग 'क' तथा 'ख' परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) सिविल अभियांत्रिकी परियोजनाओं के नियोजन या निष्पादन या अनुरक्षण में दस वर्षों का अनुभव।

फीडर ग्रेड के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे मार्ग में हैं उनके मामले पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ता, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होगा।

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले के अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अ.अ.स.) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अ.अ.स.) की अवधि साधारणतः 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अ.अ.स.) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

**नोट:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए दिनांक 01.01.2006 (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि) से पूर्व, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया है और

		जहाँ यह लाभ केवल उसी पद/पदों के लिए मिला है, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।												
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	<p><b>वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए) :-</b></p> <table> <tr> <td>1.</td><td>संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य</td><td>अध्यक्ष</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>सचिव (लोक निर्माण विभाग), अं. तथा नि. प्रशासन</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>मुख्य अभियंता, अ.लो.नि.वि.</td><td>सदस्य</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>महानिदेशक, निर्माण (के.लो.नि.वि.) द्वारा नामित मुख्य अभियंता के स्तर का एक अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr> </table>	1.	संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य	अध्यक्ष	2.	सचिव (लोक निर्माण विभाग), अं. तथा नि. प्रशासन	सदस्य	3.	मुख्य अभियंता, अ.लो.नि.वि.	सदस्य	4.	महानिदेशक, निर्माण (के.लो.नि.वि.) द्वारा नामित मुख्य अभियंता के स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
1.	संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य	अध्यक्ष												
2.	सचिव (लोक निर्माण विभाग), अं. तथा नि. प्रशासन	सदस्य												
3.	मुख्य अभियंता, अ.लो.नि.वि.	सदस्य												
4.	महानिदेशक, निर्माण (के.लो.नि.वि.) द्वारा नामित मुख्य अभियंता के स्तर का एक अधिकारी	सदस्य												
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ?	प्रतिनियुक्ति (अ.अ.स.) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना अनिवार्य है ।												

**ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION  
SECRETARIAT**

**NOTIFICATION**

Port Blair, dated the 17<sup>th</sup> April, 2014

No. 54/2014/F.No.4-8/2013-PWD.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.U-14039/2/83-ANL dated 21<sup>st</sup> February, 1985, and the UPSC's letter No. F.3/30(17)/2013-RR dated 25<sup>th</sup> March, 2014 and also in supersession of earlier Notification No. 111 dated 7<sup>th</sup> August, 2009, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of **Superintending Engineer (Civil)** in the Public Works Department, Andaman and Nicobar Administration, namely :-

**1. Short title and commencement :-**

- (i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Administration (Public Works Department) Recruitment Rules, 2014.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. No. of posts, its classification and the scale of pay :-**

The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in serial numbers 2,3 & 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications :-**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in serial numbers 5 to 13 of the said Schedule.

**4. Disqualifications :-**

No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;

or

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that, the Central Government may if, satisfied that such marriage is permissible under the personal law, applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

**5. Power to relax :-**

Where the Administrator, A & N Islands is of the opinion, that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with UPSC, relax any of the provision of these rules, with respect to any class or category of person(s).

**6. Savings :-**

Nothing in those rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Lt. Genl. (Retd.) Ajay Kumar Singh  
Lt. Governor,  
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor, A&N Islands.

Sd./-  
Joint Secretary (PWD/UD)

**SCHEDULE****RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDING ENGINEER (CIVIL), APWD**

1.	Name of post	<b>Superintending Engineer (Civil)</b>
2.	Number of post	04 (2014)* *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Services Group 'A', Gazetted, Ministerial
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	PB-4 Rs. 37400-67000 + G.P. Rs. 8700
5.	Whether selection or non selection post ?	Selection
6.	Age limit for direct recruits	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and % of the vacancies to be filled by various methods	By promotion failing which by deputation including short term contract
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grade from which promotion / deputation/ absorption to be made	<p><b><u>Promotion:-</u></b></p> <p>Executive Engineer (Civil) in Pay Band-3 Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with ten years regular service in the grade and possessing a Degree in Civil Engineering of a recognized University or Institute.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Having passed part 'A' &amp; 'B' examination of the Institute of Engineers (India) in Civil Engineering.</p> <p><b><u>Note 1:</u></b> The officer promoted to the grade of Superintending Engineer (Civil) shall undergo two weeks training course on Higher Management in a recognized Institute.</p> <p><b><u>Note 2 :</u></b> The eligibility service for promotion to the post of Superintending Engineer (Civil) shall continue to be nine years for persons holding the feeder posts of Executive Engineer (Civil) on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p><b><u>Note 3 :</u></b> Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.</p>



**Note 4:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 01-01-2006 / the date from which the revised pay structure based on the VI<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

**Deputation (ISTC) :**

Officers under the Central Government / State Govt./UT Administrations / PSUs / Universities/recognized Research Institutions/ Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organization :-

a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; OR

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post PB-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre or department; OR

(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post PB-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; AND

b) Possessing the following educational qualifications and experience :-

(i) Degree in Civil Engineering of a recognized University or Institute

OR

Having passed Part 'A' & 'B' Examination of the Institution of Engineers (India) in Civil Engineering

(ii) Ten years experience in Planning or Execution or Maintenance of Civil Engineering Projects.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization / Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 01-01-2006 / the date from which the revised pay structures based on the VI<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the **recommendations of the Pay Commission** except where there has been merger of more than one pre-revised pay scale into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any up-gradation.



12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	<b><u>GROUP 'A' DPC (for considering promotion) :-</u></b> (i) Chairman or a Member of Union Public Service Commission (UPSC) (ii) Secretary (PWD), A & N Administration - Member (iii) Chief Engineer, APWD - Member (iv) One Officer of the rank of Chief Engineer - Member nominated by the D.G. (W), (CPWD)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).